प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 2, धारा 7, धारा 10 और धारा 13 से 20 के सिवाय, धारा 2 से 21 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-A(3)-4/2019 dated 15 -01-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 01/2020-State Tax

Shimla-2, *the* 15*th January,* 2020

No. EXN-A(3)-4/2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Act No.19 of 2019), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st day of January, 2020, as the date on which the provisions of sections 2 to 21, except section 2, section 7, section 10 and sections 13 to 20 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Act No.19 of 2019), shall come into force.

By order,

SANJAY KUNDU,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 74 / 2019—राज्य कर

शिमला—2, 15 जनवरी, 2020

सं0 ई.एक्स.एन.—एफ(10)—25 / 2019.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश परिषद् की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई—गजट) में सं0 ई.एक्स.एन.—एफ(10)—5 / 2018 के तहत 30 जनवरी, 2018 को प्रकाशित की गई हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 4 / 2018—राज्य कर, तारीख 30 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:——

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:——

"परन्तु यह और भी उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास / तिमाही जुलाई, 2017 से नवम्बर,